(17)

संख्या-685/एक-10-2024-33(3)2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 17/05/2024

विषयः-राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र के संचालन/ वेबसाइट डेवलपमेंट एवं संचालन तथा टेलीफोन व सी०यू०जी० बिलों के भुगतान हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5590/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2024-25, दिनाक 15 अप्रैल, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहुत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र के सुदृणीकरण व सुगम संचालन, राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के डेवलपमेंट एवं संचालन, तथा टेलीफोन नम्बरों एवं सीयूजी नम्बरों के बिलों के भुगतान पर होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु रू0 2,02,32,680/- (रू० दो करोड़ दो लाख बत्तीस हजार छः सौ अस्सी मात्र) की धनराशि निम्न विवरण / शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

अ- राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र हेतु

क्र0सं0	व्यय किये जाने वाले मद/ कार्य का विवरण	वार्षिक आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रु) में)
1	इन्टरनेट नेटवर्क के लिए लीज लाइन।	60,000/-
2	10 टेलीवीजन सेट हेतु डी०टी०एच० सेवा	36,000/-
3	बीडियो कान्फ्रेन्टिंग करने हेतु साफटवेयर/जूम ऐप की सेवा	85,000/-
4	कन्ट्रोलरूम हेतु आवश्यक उपकरण यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, फोटोकापियर आदि तथा इनके संचालन व अनुरक्षण पर होने वाला व्यय।	5,00,000/-

5	टोलफ्री नं0 1070 पर 24X7 संचालित कॉल सेन्टर एवं राहत आयुक्त कार्यालय व कन्ट्रोल रूम द्वारा किये जा रहे कार्यों व जन जागरूकता कार्यक्रम का सोशल मीडिया सेल के संचालन प्रचार प्रसार किये जाने हेतु सोशल मीडिया सेल के संचालन तथा ई0ओ0सी0 के क्षमता संवर्द्धन पर होने वाला व्यय।	72,00,000/-
	कुल धनराशि	78,81,000/-

ब- राहत आयुक्त कार्यालय के बेबासाइट डेवलपमेंट एवं संचालन हेतु

क्र0सं0	व्यय किये जाने वाले मद/ कार्य का विवरण	वार्षिक आधार पर होने वाला अनुमानित व्यय (रु) में)
1	एस०एस०एल० सर्टीफिकेट।	15,000/-
2	राहत पोर्टल के माध्यम से नागरिकों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर एस०एम०एस० एलर्ट भेजने हेतु एस०एम०एस० सर्विस।	3,00,000/-
3	राहत पोर्टल के विभिन्न माड्यूल में नागरिकों के आधार व फैमिली आई०डी० ऑथेन्टिकेशन हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि० को किया जाने वाला भुगतान।	2,00,000/-
	कुल धनराशि	5,15,000/

स. राज्य स्तरीय ई०ओएसी के सुदृढीकरण हेतु भारत संचार निगम लि0 के 945441 एवं 945444 सीरीज के सी०यू०जी० नम्बर एवं 0522-2235121 पर टोल फ्री नम्बर 1070 तथा 0522-2217721 पर संचालित पी०आर०आई० लाइन के भुगतान हेतु-

क्र0सं0	टेलीफोन	भुगतान की जाने वाली धनराशि रूपये। (लगभग)	माह अप्रैल, 2024 से माह मार्च, 2025 (कुल 12 माह तक की अनुमानित धनराशि रु0 में।
	0522-2235121	390/-	4,680/-
	0522-2217721 1801-1805222 (सी०यू०जी)	16,000/- 9,70,000/-	1,92,000/- 1,16,40,000/-

		कुल धनराशि	1,18,36,680/-

(रू0 78,81,000/-+रू0 5,15,000/-+रू0 1,18,36,680/-) कुल रू0 2,02,32,680/- (रू० दो करोड़ दो लाख बत्तीस हजार छः सौ अस्सी मात्र)

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11- 2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 2,02,32,680/- (रू० दो करोड़ दो लाख बत्तीस हजार छः सौ अस्सी मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित

अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 17-05-2024 17:07:35
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-685(1)/एक-10-2024-33(3)/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0 ।

4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-22/05/2024

प्रेषण संख्या:- 685
आवंटन आदेश संख्या:- 001-685
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान	20232680	20232680
		प्रगामी	20232680	20232680
	योग	वर्तमान	20232680	20232680
		प्रगामी	20232680	20232680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ दो लाख बत्तीस हजार छ: सौ अस्सी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ दो लाख बत्तीस हजार छ: सौ अस्सी

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन